न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2255–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–04–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 31/निगरानी/2011–12.

....

श्रीमती सीता देवी श्रीवास्तव,
पत्नी श्री रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव,
निवासी व कृषक ग्राम बरोडी,
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म.प्र.
हाल मुकाम– म.नं. 186–ए, भावना नगर,
सांई बाबा मंदिर के पास, आयोध्या बायपास रोड,
भोपाल म0प्र0

.... आवेदिका

विरूद्ध

बादामसिंह मेहर आ.श्री अमान सिंह मेहर,
निवासी ग्राम बरोडी, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल म0प्र0

.... अनावेदक

....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
अनावेदक – एकपक्षीय

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 11/6/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–04–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार बैरसिया के समक्ष उसके स्वामित्व की ग्राम सागौनी खुर्द स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 74/1 रकबा 0.37 हेक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अपर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 109/अ—12/09—10 दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को सीमांकन के निर्देश दिये गये । राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा दिनांक 1—6—10 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सीमांकन में पड़ोसी कृषक भवानी सिंह व कमलासिंह का 0.10 आरे पर एवं पड़ोसी कृषक रामेश्वरदयाल का 0.47 आरे पर अवैध कब्जा पाया गया । अपर तहसीलदार द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 17—6—10 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध रामेश्वरदयाल की पत्नी आवेदिका सीतादेवी द्वारा अपर कलेक्टर जिला भोपाल के समक्ष इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई कि उसके स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि पुराना खसरा क्रमांक 1/1/1/2ख/3, नया खसरा नम्बर 69/1 रकबा 0.14 हेक्टर है । अनावेदक के पिता अमान को प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर प्राप्त हुई थी किन्तु राजस्व अधिकारियों ने 1987—88 के बाद कई बार सर्वे नम्बरों में फेरबदल किया अतः सर्वे नम्बरों में हुये फेरबदलों से आवेदिका को नुकसान हो रहा है । अपर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/निगरानी/2011—12 पर दर्ज करते हुये विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 27—4—2012 से आवेदिका की निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—4—2012 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से लिखित तर्क में बताया कि विवादित सीमांकन में राजस्व अधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि पर रामेश्वर दयाल का अवैध कब्जा है, जबकि ऐसा नहीं है वह तो मौके पर पूर्व से ही सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी आवेदिका के नाम की भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है । राजस्व अधिकारियों की गलती के

कारण आये दिन मौके पर आवेदिका के पति एवं अनावेदक के बीच वाद–विवाद की स्थिति बनती रहती है जिससे शांति भंग होने की संभावना निरन्तर बनी हुई है। उक्त त्रुटियों का फायदा उठाते हुये एवं यह देखते हुये कि आवेदिका की भूमि पूर्णतः आबाद है, अनावेदक ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर उनकी मिलीभगत से विवादित सीमांकन कराया है जो कि पूर्णतः निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त संपूर्ण बातों पर बिल्कुल ही गौर नहीं किया, जबकि आवेदिका के अधिवक्ता ने बार बार उक्त बातों पर जोर देकर कहा कि न्यायालय उक्त वर्णित भूमियों से संबंधित रिकार्ड को देखे साथ ही आवेदिका अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विवादित सीमांकन दिनांक 17–6–2010 को वापस तहसील बैरसिया को रिमाण्ड करते हुये आवेदिका को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाये लेकिन उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमानी तरीके से आलौच्य आदेश पारित किया है, इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का भी कोई उल्लेख नहीं किया है, सिर्फ फोरे तौर पर सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर आलौच्य आदेश पारित कर गंभीर तथ्य की भूल की है, जो शीघ्र ही सुधार किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि विगत 20 वर्षो से अनावेदक के पिता ने अपने जीवनकाल में एवं उनकी मृत्यु के उपरांत अनावेदक ने सीमांकन क्यों नहीं कराया तथा क्यों उक्त भूमि पर कभी कब्जा प्राप्त किया, ऐसा नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर तथ्य की भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में विधि की गंभीर भूल की है, क्योंकि विधि में यह स्पष्ट है कि किसी भी भूमि के सीमांकन की सूचना संबंधित ग्राम के ग्रामवासियों, पटेल, सरपंच एवं विवादित भूमि के पड़ोसी कृषकों को अनिवार्य रूप से राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रदान की है, जिसका लेशमात्र भी पालन सीमांकन के समय नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण सीमांकन प्रतिवेदन का भी ठीक ढ़ंग से अध्ययन नहीं किया है जो इस बात से सिद्ध होता है कि उक्त वर्णित विवादित कृषि भूमियॉ ग्राम सागोनी खुर्द के प0ह0न0

35 में स्थित है, जबकि सीमांकन अन्य हल्का नम्बर 46 के पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया है । यह भी आधार किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया है कि विवादित कृषि भूमि ग्राम सागोनी खुर्द में स्थित है जबकि पटवारी द्वारा अपने मौका पंचनामा ग्राम सागोनीकलॉ के कृषकों के समक्ष बनाया जाना दर्शित किया है अर्थात् यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम सागोनी खुर्द स्थित कृषि भूमि के पड़ोसी कृषकों को तथा आवेदिका एवं अनावेदक वर्तमान में जिस गॉव बरोड़ी में निवास करते है वहॉ के किसी भी कृषक को सूचना नहीं दी गई है न ही ग्राम चौकीदार द्वारा कोई मुनादी संबंधित ग्राम सागोनी खुर्द एवं बरोड़ी में पिटवाई गई है। मौका पंचनामा में जिन किसानों के हस्ताक्षर पटवारी द्वारा कराये गये है उनमें से एक भी किसान की भूमि विवादित कृषि भूमि के आस पास अथवा ग्राम सागोनी खुर्द में नहीं है । मौका पंचनामा पर फर्जी हस्ताक्षर बनाये है । ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण प्रतिवेदन ही पूर्णतः अनावेदक एवं राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से तहसील कार्यालय में अथवा कहीं अन्य जगह पर बैठकर लिख लिया गया है । लिखित तर्क में यह आधार लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदिका अधिवक्ता ने अपनी बहस में इस बात का भी उल्लेख किया था कि अनावेदक द्वारा दिनांक 20—5—10 को जो सीमांकन बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है उस आदेश पत्रिका में संबंधित तहसील न्यायालय के रीडर द्वारा लिखा गया है कि बादामसिंह पुत्र अमानसिंह ने खसरा नम्बर 74 / 1 रकबा 0.47 हेक्टर भूमि के सीमांकन कराने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी से सीमांकन कराना चाहा, जबकि विधि अनुसार सीमांकन भूमि जिस पटवारी हल्का नम्बर में स्थित है वहीं के पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कराया जाना उचित है । लिखित तर्क में यह भी कहा कि आवेदिका एक वृद्ध महिला है तथा दिल की मरीज है उसका वायपास वर्ष 1999 में हो चका है तथा उसके पास सिर्फ और सिर्फ 0.14 हेक्टेयर की भूमि ही अपनी आजीविका बावत् शेष है जिसको कि आवेदिका के पति ने अथक मेहनत कर कृषि योग्य बनाया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक

27–4–12 को निरस्त करते हुये दिनांक 17–6–10 को हुये विवादित सीमांकन निरस्त किये जाने के आदेश पारित करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे हैं इसलिये उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है और तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–6–2010 को प्रकरण में सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष मुख्यतः इस आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का लगभग 20 वर्षो से कब्जा है और समय समय पर राजस्व अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बरों में फेरबदल करने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई है और राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटि के लिये आवेदिका को नुकसान हो रहा है । इस संबंध में अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि स्वयं आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया गया है और यदि राजस्व अधिकारियों ने समय समय पर खसरा नम्बरों में परिवर्तन करने में त्रुटि की है तो इसके लिये संहिता में पृथक से प्रावधान है । इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस न्यायालय में आवेदिका द्वारा लिखित तर्कों में यही दर्शाने का प्रयास किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का 20 वर्षो से कब्जा है और 20 वर्षो तक अनावेदक द्वारा सीमांकन क्यों नहीं कराया गया ? जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि आवेदिका द्वारा स्वयं अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा किया जाना

स्वीकार किया है, इसलिये उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी उचित नहीं है कि उनके द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष आपत्तियॉ उठाई जाकर प्रकरण आपत्ति के निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया था जिस पर अपर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है क्योंकि आवेदिका की ओर से जो आधार अपर कलेक्टर के समक्ष उठाये गये है उन आधारों पर अपर कलेक्टर द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत विवेचना कर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–04–2012 विधिअनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर